समक्ष प्रमोद कोहली माननीय न्यायमूर्ति

कुलज इंदर सिंह - ***याचिकाकर्ता***

बनाम

रजिस्ट्रार, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय - ***प्रतिवादी***

2009 की सिविल रीट याचिका संख्या 17930

30 अगस्त. 2010

भारत का संविधान, 1950- अनुच्छेद 226—जांच अधिकारी ने आवेदन को सूचीबद्ध करने में देरी के लिए उच्च न्यायालय के डीलिंग असिस्टेंट को जिम्मेदार पाया—साक्ष्यों के आधार पर तथ्य का पता लगाना—प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का कोई उल्लंघन नहीं—वेतन वृद्धि रोकने का जुर्माना लगाने वाले आदेशों में कोई हस्तक्षेप नहीं—कनिष्ठ अनुशासनात्मक कार्यवाही के दौरान याचिकाकर्ता को पदोन्नत किया गया- क्या उसके कनिष्ठों की पदोन्नति की तारीख से इनकार करना दोहरे खतरे के समान है– अभिनिर्धारित, नहीं - याचिकाकर्ता को दंड भुगतना पड़ा, इस प्रकार, उसकी सजा समाप्त होने के बाद ही वह पदोन्नति का हकदार है- हालांकि, याचिकाकर्ता को विचार किए जाने का हकदार माना गया - वृद्धि और एक विशेष (स्वर्ण जयंती) वेतन वृद्धि प्रदान करना।

अभिनिर्धारित कि जांच रिपोर्ट में एक विशिष्ट निष्कर्ष दर्ज किया गया है कि याचिकाकर्ता 7 महीने की देरी के लिए जिम्मेदार है। दस्तावेजी साक्ष्य सहित जांच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों पर चर्चा के बाद निष्कर्ष दर्ज किया गया। याचिकाकर्ता का यह भी मामला स्वीकार किया गया है कि सिविल विविध आवेदन पत्र उसे अंकित कर दिया गया। कानून का यह स्थापित सिद्धांत है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते समय उच्च न्यायालय अपील की अदालत के रूप में नहीं बैठता है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय केवल निर्णय लेने की प्रक्रिया की जांच कर सकता है, निर्णय की नहीं। याचिकाकर्ता का मामला यह नहीं है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ है या किसी नियम या कानून के विपरीत आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार, संचयी प्रभाव के बिना एक वेतन वृद्धि रोकने का जुर्माना लगाने वाले उत्तरदाताओं द्वारा पारित आदेशों में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

(पैरा 5 एवं 6)

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि याचिकाकर्ता को 14 मार्च, 2007 के आदेश के तहत एक वेतन वृद्धि रोकने की सजा दी गई थी। याचिकाकर्ता से कनिष्ठ व्यक्तियों को अनुशासनात्मक कार्यवाही के दौरान यानी 2002 से 2007 के बीच पदोन्नत किया गया था। याचिकाकर्ता को जुर्माना भुगतना पड़ा। यह वर्ष 2009 में पूरा हुआ जब याचिकाकर्ता अगली वेतन वृद्धि का हकदार बन गया। तदनुसार, सजा समाप्त होने के बाद 7 मई, 2009 को उन्हें पदोन्नत कर दिया गया। ऐसा मामला नहीं है कि याचिकाकर्ता को जांच में बरी कर दिया गया था, जो अकेले ही याचिकाकर्ता की पूर्वव्यापी पदोन्नति का कारण हो सकता था। याचिकाकर्ता ने दंड भुगता है और इस प्रकार, उसे दी गई सजा समाप्त होने के बाद ही पदोन्नत किया जा सकता है, जिससे याचिकाकर्ता को पदोन्नति दी गई है। याचिकाकर्ता के किसी भी अधिकार का उल्लंघन नहीं किया गया है और न ही किसी भी स्तर पर पदोन्नति से इनकार किया गया है।

(पैरा 7 एवं 8)

अमित झांजी ***याचिकाकर्ता के लिए*** वकील ।

प्रतिवादियों की ओर से वकील राजेश गर्ग ।

परमोद कोहली, न्यायमूर्ति

1. दिनांक 19.01.2009 के 2001 का क्रमांक 27834 सुनवाई के लिए सूचीबद्ध आक्षेपित आदेश के तहत, सिविल विविध प्राप्त करने में लगभग 7 महीने की देरी के लिए संचयी प्रभाव के बिना एक वेतन वृद्धि रोकने का जुर्माना याचिकाकर्ता पर लगाया गया था। याचिकाकर्ता द्वारा की गई एक सेवा अपील को माननीय प्रशासनिक न्यायाधीश ने दिनांक 19.01.2009 (अनुलग्नक पी-14) के आदेश के तहत खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता को दिनांक 18.05.2009 के पत्र के माध्यम से आदेश सूचित किया गया था।

2. उपरोक्त आदेश को चुनौती देने के अलावा, याचिकाकर्ता उस तारीख से अपनी पदोन्नति की भी मांग कर रहा है, जिस दिन उसके कनिष्ठों को अधीक्षक - ग्रेड द्वितीय के पद पर पदोन्नत किया गया था। दक्षता स्टेपअप वेतन वृद्धि की अतिरिक्त राहत का भी दावा किया गया है।

3. संक्षेप में कहा जाए तो इस याचिका को दाखिल करने के पीछे के तथ्य इस प्रकार हैं:

(i) याचिकाकर्ता को 21.04.1982 को माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में क्लर्क के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें वर्ष 1987 में वरिष्ठ लिपिक के रूप में और 12.01.1995 से वरिष्ठ सहायक के रूप में पदोन्नत किया गया था। उन्हें जनवरी 1998 में रिट शाखा में तैनात किया गया था और 'डब्ल्यू 12' के रूप में परिभाषित सीट पर तैनात किया गया था। इस सीट पर अपनी पोस्टिंग के दौरान एक सिविल विविध 2001 की सिविल रिट याचिका संख्या 27834 में 1995 की संख्या 1027, जिसका शीर्षक **अंबाला अर्बन एस्टेट वेलफेयर सोसाइटी बनाम हुडा** था और एक अन्य रिट याचिका के रिकॉर्ड के पुनर्निर्माण के लिए 07.08.2001 को दायर की गई थी। यह सिविल विविध. याचिकाकर्ता को 03.10.2001 को आवेदन पत्र भेजा गया था।

(ii) यह अभिनिर्धारित हुआ कि सिविल रिट याचिका संख्या 1027/1995 को आदेश दिनांक 30.11.1995 के संदर्भ में दो अन्य रिट याचिकाओं के साथ सुना जाना था और अन्य दो रिट याचिकाएं सीट संख्या 'डब्ल्यू-3' से संबंधित थीं। इसलिए, सिविल विविध क्रमांक 27834 ऑफ 2001 को भी उक्त सीट पर स्थानांतरित कर दिया गया। आगे कहा गया है कि सिविल विविध प्राप्त होने पर आवेदन में, उन्होंने पाया कि मुख्य मामला, यानी, 1995 का सीडब्ल्यूपी नंबर 1027, सीट नंबर 'डब्ल्यू -2' पर स्थानांतरित कर दिया गया था। उन्होंने सिविल विविध क्लर्क को इस रिपोर्ट के साथ लौटा दिया कि यह रिट याचिका सीट संख्या 'डब्ल्यू-2' पर स्थानांतरित कर दी गई है।

(iii) याचिकाकर्ता का दावा है कि उसने इस स्थिति को अधीक्षक (रिट) और सहायक रजिस्ट्रार (रिट) की जानकारी में ला दिया है।

(iv) इसी बीच दिनांक 24.05.2002 को माननीय मुख्य न्यायाधीश को एक शिकायत दर्ज करायी गयी। इस शिकायत पर माननीय मुख्य न्यायाधीश ने जिम्मेदारी तय करते हुए जांच के आदेश दिये। इस प्रकार एक जांच गठित की गई, जो सहायक रजिस्ट्रार (रिट्स) द्वारा आयोजित की गई, जिन्होंने 12.09.2002 को एक विस्तृत जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की। याचिकाकर्ता को रिकॉर्ड के पुनर्निर्माण के लिए आवेदन को सूचीबद्ध करने में देरी के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था।

(v) उपरोक्त प्रारंभिक जांच के बाद, सिविल विविध प्राप्त करने में लगभग 7 महीने की देरी के लिए याचिकाकर्ता पर दिनांक 16.05.2003 को एक आरोप पत्र जारी किया गया था। 2001

की संख्या 27834 न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध।

(vi) याचिकाकर्ता से जवाब प्राप्त करने के बाद, जांच अधिकारी ने माना कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप उनकी जांच रिपोर्ट दिनांक: 24.10.2006 से साबित हुआ था। याचिकाकर्ता ने जांच रिपोर्ट के संबंध में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। हालाँकि, अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने पत्र दिनांक 14.03.2007 के माध्यम से संचयी प्रभाव के बिना एक वेतन वृद्धि रोकने का जुर्माना लगाया।

4. श्री अमित झांजी ने प्रारंभिक जांच की रिपोर्ट के साथ-साथ आरोप पत्र की तामील के बाद मुख्य जांच की ओर यह तर्क देने के लिए ले गए कि याचिकाकर्ता के खिलाफ निष्कर्ष तथ्यात्मक रूप से गलत हैं। यह जोरदार तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता इस तथ्य के मद्देनजर आवेदन की सूची में देरी के लिए ज़िम्मेदार नहीं था कि याचिका की मूल रिट फ़ाइल किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित कर दी गई थी और इस प्रकार, देरी के लिए याचिकाकर्ता को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। उनका पूरा तर्क जांच रिपोर्ट की वैधता से संबंधित है। जांच रिपोर्ट को चुनौती नहीं दी गयी है। जिस चीज़ को चुनौती दी गई है वह जुर्माना लगाने का आदेश और अपीलीय प्राधिकारी का आदेश है।

5. मैंने जांच रिपोर्ट पर भी विचार किया है। एक विशिष्ट निष्कर्ष दर्ज किया गया है कि याचिकाकर्ता लगभग 7 महीने की देरी के लिए जिम्मेदार है । दस्तावेजी साक्ष्य सहित जांच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों पर चर्चा के बाद निष्कर्ष दर्ज किया गया। याचिकाकर्ता का यह भी मामला स्वीकार किया गया है कि सिविल विविध आवेदन पत्र उसे अंकित कर दिया गया। कानून का यह स्थापित सिद्धांत है कि उच्च न्यायालय, अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए अपील की अदालत के रूप में नहीं बैठता है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय केवल निर्णय लेने की प्रक्रिया की जांच कर सकता है, निर्णय की नहीं। याचिकाकर्ता का मामला यह नहीं है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ है या किसी नियम या कानून के विपरीत आदेश पारित किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने 1998 में (1) एससीटी 578: (1999)1 एससीसी 759 मामले **में परिधान निर्यात संवर्धन परिषद बनाम एके चोपड़ा** ने माना है कि विभागीय कार्यवाही में, अनुशासनात्मक प्राधिकारी तथ्यों का एकमात्र न्यायाधीश होता है। साक्ष्य की सराहना के आधार पर तथ्य दर्ज किए जाते हैं, उच्च न्यायालय, रिट क्षेत्राधिकार में, आम तौर पर उन तथ्यात्मक निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है जब तक कि यह नहीं पाया जाता है कि दर्ज किए गए निष्कर्ष या तो बिना किसी सबूत पर आधारित थे या

निष्कर्ष पूरी तरह से विकृत थे और/या कानूनी रूप से मान्य। आगे यह माना जाता है कि साक्ष्य की पर्याप्तता या अपर्याप्तता को प्रचारित करने की अनुमति नहीं है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते समय उच्च न्यायालय विभागीय कार्यवाही में अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नहीं बैठता है।

6. संचयी प्रभाव के बिना एक वेतन वृद्धि रोकने का जुर्माना लगाने वाले उत्तरदाताओं द्वारा पारित आदेशों में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है ।

7. यह अदालत को याचिका में दावा की गई दूसरी राहत की ओर ले जाता है, जिसमें याचिकाकर्ता से कनिष्ठ को पदोन्नति दी गई थी। दिनांक 14.03.2007 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता को एक वेतन वृद्धि रोकने की सजा दी गई। याचिकाकर्ता से कनिष्ठ व्यक्तियों को अनुशासनात्मक कार्यवाही के दौरान, यानी 2002 से 2007 के बीच पदोन्नत किया गया था। याचिकाकर्ता द्वारा भुगता गया दंड वर्ष 2009 में पूरा हुआ जब याचिकाकर्ता अगली वेतन वृद्धि का हकदार बन गया। तदनुसार, सजा समाप्त होने के बाद 07.05.2009 को उन्हें पदोन्नत कर दिया गया। ऐसा मामला नहीं है कि याचिकाकर्ता को जांच में बरी कर दिया गया था, जो अकेले ही याचिकाकर्ता की पूर्वव्यापी पदोन्नति का कारण हो सकता था। याचिकाकर्ता ने दंड भुगता है और इस प्रकार, उसे दी गई सजा समाप्त होने के बाद ही पदोन्नत किया जा सकता है, जिससे याचिकाकर्ता को पदोन्नति दी गई है। श्री झांजी ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता को उसके कनिष्ठों की तिथि से पदोन्नति से वंचित करना दोहरे संकट के बराबर है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1995(3) एससीटी 345: (1995)3 एससीसी 273 में इसी तरह के मुद्दे पर विचार किया गया है, जिसका शीर्षक **टीएन राज्य बनाम थिरु केएस मुरुगेसन** है , जिसमें निम्नलिखित टिप्पणियाँ की गई हैं:

"7. इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाएगा कि जब पदोन्नति विचाराधीन होती है, तो पिछला रिकॉर्ड आधार बनता है और जब पदोन्नति योग्यता और क्षमता पर होती है, तो पिछले रिकॉर्ड के आधार पर दंड की मुद्रा एक बाधा के रूप में खड़ी होती है। जब तक सजा की अवधि नहीं मिलती समय के अंत में समाप्त होने पर, उक्त अवधि के दौरान विचार के लिए दावा नहीं किया जा सकता है। अन्यथा, यह पूर्वव्यापी पदोन्नति होगी जो नियमों के तहत अस्वीकार्य है और यह कदाचार पर प्रीमियम होगा। इन परिस्थितियों में, हमारी राय है कि दोहरे खतरे के सिद्धांत का कोई अनुप्रयोग नहीं है और गैर-विचारण न तो संविधान के अनुच्छेद 21 और न ही अनुच्छेद 16 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।"

8. उपरोक्त कानूनी स्थिति के मद्देनजर, याचिकाकर्ता के किसी भी अधिकार का उल्लंघन नहीं किया गया है और न ही किसी भी स्तर पर पदोन्नति से इनकार किया गया है।

9. प्रवीणता स्टेप-अप वेतन वृद्धि और स्वर्ण जयंती वेतन वृद्धि देने के लिए याचिकाकर्ता की अंतिम प्रार्थना को स्वीकार किया जाना चाहिए और यदि याचिकाकर्ता ने सेवा की अपेक्षित अवधि पूरी कर ली है तो उसे इन वेतन वृद्धि से इनकार नहीं किया जा सकता है। प्रवीणता स्टेप-अप वेतन वृद्धि और स्वर्ण जयंती वेतन वृद्धि के अनुदान के लिए याचिकाकर्ता के दावे पर विचार किया जा सकता है और यदि कोई कानूनी बाधा नहीं है, तो लाभ दो महीने की अवधि के भीतर जारी किया जाएगा।

10. इस रिट याचिका को ऊपर उल्लिखित अंतिम राहत के संबंध में आंशिक रूप से अनुमति दी गई है और अन्य राहतों के संबंध में खारिज कर दी गई है ।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

उदित अग्रवाल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

करनाल, हरियाणा